नगर निगम की लूट कमाई का बडा स्त्रोत है तोड़-फोड़ का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सप्ताह नम्बर एक के बाजार में नगर निगम के दस्ते ने बड़े पैमाने पर दुकानदारों द्वारा अपने सामने की सड़क पर किये गये अवैध कब्जों को धाराशाही किया था। दुकानों के बाहर रखे सामान व काऊंटर आदि उठा लिये गये या तोड़ दिये गये। इस दस्ते के मुखिया एसडीओ सुमेर सिंह से जब इस संवाददाता ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही बाबत पूछा तो उनका कहना था कि वे अपने क्षेत्र के तमाम बाजारों में दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को समाप्त कराकर रहेंगे ताकि पैदल चलने वालों को फुटपाथ नसीब हो सके और जाम से राहत मिल सके। यह सब वे अपने निगमायुक्त के आदेश पर कर रहे हैं।

कहीं यह तोड़फोड़ उगाही का साधन तो नहीं है जो एक दिन करनके बाद फिर से यथास्थिति में लौट आयेंगे? जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं यह स्थाई है, दोबारा कब्जे नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत इसके विपरीत आज सामने है, कब्जे ज्यों के त्यों है, सड़कों पर सामान व काऊंटर ज्यों के त्यों फुटपाथ घेरे हुए हैं। समझा जा सकता है कि यह तोड़फोड़ केवल एक रस्म अदायगी से अधिक कुछ नहीं है जिसके द्वारा दुकानदारों को नगर निगम की विध्वंसकारी शक्तियों से अवगत कराया जाता है ताकि लेनदेन बना रहे। वरना निगम चाहे तो यह समस्या स्थायी तौर पर हल हो सकती है और वह भी बिना तोड़फोड़ दस्ते के। जी हां, बिना तोड़-फोड़ दस्ते के। निगम के पास अवैध कब्जों के चालान करने का अधिकार है जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी दुकानदार लगातार

हो सकने वाले इन जुर्मोनों को सही नहीं सकता।

बाजारों के अलावा असल लूटकमाई तो अवैध निर्माणों से है

कुछ समय पूर्व जब यशपाल यादव ने बतौर डीसी नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज संभाला तो उन्होंने बीसियों अवैध कब्जों एवं निर्माणों की सूची जारी कर कार्यवाही का आदेश दिया था। मजदूर मोर्चा ने वह पूरी सूची ज्यों की त्यों प्रकाशित की थी।

लेकिन आज जब उनके पास नगर निगम का पूरा एवं स्थायी चार्ज है तो यादव जी की उस सूची व जारी किये गये आदेशों का क्या हो रहा है? होना क्या था, वही हो रहा है, जो सदा से होता आ रहा है। सभी अवैध कब्जे न केवल कायम हैं बल्कि उन भवन निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। जाहिर है इसके लिये मोटा लेन-देन होता है। लाखों में नहीं यह रकम करोड़ों तक होती है। इसे निचले कर्मचारी अकेले हजम कर पाने की क्षमता नहीं रखते।

इस अवैध कारोबार का तरीका कुछ इस प्रकार होता है कि बिल्डर जैसे-तैसे नक्शा तो पास करवाता है, रिहायशी का और वह भी मात्र 25 प्रतिशत हिस्से का और निर्माण कार्य, योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्लॉट पर कमर्शियल के हिसाब से करता है। नियमानुसार डीपीसी लेवल पर निर्माण कार्य की जांच होती है, यदि नक्शे के मुताबिक डीपीसी का निर्माण किया हो तो आगे का काम नहीं हो सकता। परन्तु निगम अफसरों की मिलीभगत से सारा फर्जीवाड़ा होता रहता है। उसके बाद जब अवैध निर्माण बन कर तैयार हो जाता है तो सील करने की नौटंकी की जाती है। कुछ दिन तक अवैध निर्माण सील रहता है, फिर सील तोड़ कर मालिक अपना कारोबार शुरू कर देता है। जाहिर है यह सब तमाम उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के बिना कदापि संभव नहीं हो सकता।

बेशक आज के दिन सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से हो चुके एवं हो रहे तमाम निर्माण कार्यो का पूरा-पूरा लेखा-जोखा निगम अधिकारियों के पास मौजूद है। ऐसे हर निर्माण कार्य की तस्वीरें पूरे विवरण सहित मीडिया में प्रकाशित होती रहती हैं। अब इनकी संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि सभी तस्वीरों को छापने की जगह अखबार में नहीं है। फिर भी उदाहरण के लिये कुछ को छापा जा रहा है।

मंदिर की मलाई पर गिद्धों की दृष्टि

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनआईटी नंबर 5 में करीब 2200 वर्ग गज में सनातन धर्म सभा द्वारा तत्कालेशवर शिव मंदिर संस्थान है। मंदिर की पहली मंजिल पर एक अच्छा खासा स्कूल चलता है और दसियों दुकानें मोटे किराये पर दी हुई हैं जिनसे कई लाखों की पगड़ी ली जाती है। वर्ष 2014 से लेकर आजतक मंदिर कार्यकारिणी द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

इस मंदिर से बीते 40 वर्षों से जुड़े व 16 वर्षों से कार्यकारिणी के महासचिव बंसीलाल कुकरेजा ने इस संवाददाता को बताया कि जब भी वे मंदिर आमदनी व खर्चे के हिसाब-किताब की बात करते हैं तो कुछ लोग झगड़े व मार-पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। गुंडागर्दी व दादागिरी के दम पर वे लोग कुकरेजा को संस्थान के कार्यालय तक में नहीं जाने देते। उन लोगों ने राजनीतिक संरक्षण के बल पर संस्थाओं के रजिस्ट्रार राजेन्द्र सिंह राणा से साँठ-गांठ करके वह कार्यकारिणी ही भंग करवा दी जिसमे कुकरेजा महासचिव थे। कुकरेजा ने इसके विरोध में जब रजिस्ट्रार के यहाँ पेटीशन लगाई तो उन्हे अस्थाई रूप से बतौर महासचिव बहाल तो कर दिया लेकिन दूसरे गिरोह ने गुंडागर्दी व पुलिस के दम पर उन्हे मंदिर में घुसने नहीं दिया। एक बार कुकरेजा ने घुसने का प्रयास किया भी तो उनपर कातिलाना हमला भी हुआ जिसपर राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। संस्थान पर पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए गिरोह ने सदस्यों की सदस्यता में भी हेर फेरी करना शुरू कर दिया है। गिरोह ने पुराने सदस्यों के नाम सदस्यता लिस्ट से काट कर अपने लोगों के नाम लिस्ट में शामिल करने शुरू कर दिए हैं, जबकि नियमानुसार 2020 के बाद बने मेंबरों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता।

अब पता चला है कि रजिस्ट्रार राणा ने बिना कुकरेजा को बताये दूसरे पक्ष से साँठ-गांठ करके चुपचाप एक एडहाक कमेटी गठित कर दी है, जिसके कर्ता -धर्ता महेश बजाज, संजय शर्मा, व पदम भड़ाना हैं। रजिस्ट्रार के इस गैरकानूनी आदेश के बल पर यह गिरोह मंदिर पर काबिज है और इसकी करोड़ों की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। कुकरेजा ने रजिस्ट्रार की इन गैरकानूनी करतूतों का वैधानिक औचित्य जानने के लिए आरटीआई भी लगाई हुई है जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। नियमानुसार इस तरह की स्थिति में सरकार को संस्थान की पूरी संपत्ति एवं आय-व्यय के नियंत्रण का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसके लिए सरकार को बाकायदा एक सरकारी अफसर की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि जनता की संपत्ति की सुरक्षा हो सके।

सेशन जज को भी कुछ नहीं समझता एमसीएफ

सेशन जज साहब अपनी कोठी के आगे पानी भरना तो नही खत्म करवा पाए पर गेट जरूर दूसरी रोड पर खुलवा लिया। एमसीएफ के निक्कमेपन के कारण बदले गए इस गेट पर जनता का 3 लाख रुपए के करीब बर्बाद हुआ बताया जाता है। विदित हो कि इससे पहले इस पानी को भरने से रोकने के लिए एमसीएफ़ कई लाख रुपए खर्च करके एक सम्प वेल और पाइप लाइन डाल चुकी है लेकिन बेशर्म पानी जज साहब को मुंह चिढ़ाता आकर उन्ही की कोठी के सामने खड़ा हो जाता है। सम्प वेल बनाने में खर्च किए गए पिछले पैसों की बर्बादी पर न जज साहब ने कोई जवाब तलब किया और ना एमसीएफ के अफसरों ने खुद सफाई दी।

वैसे ये भी बता दें कि 15 और 15 ए की जिस विभाजक रोड पर जज साब का नया गेट लगाया गया है उस पर किसी भी आवासीय परिसर का गेट नही लग सकता। लेकिन उस पर कमिश्नर साहब का गेट भी है और अब जज साहब का भी। बाकी कानून की नजरों में सब बराबर हैं और नियम सभी पर लागू होता है।